क्रमांक-66

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2018 (भाद्र 20, 1940)

निर्वाचन क्षेत्र क्र.135-हरदा से निर्वाचित सदस्य, डॉ.रामकिशोर दोगने को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

पुलिस अधीक्षक, हरदा की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 07.09.2018, जो इस सचिवालय में दिनांक 11.09.2018 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

" मुझे आपको यह सूचना देनी है कि जा.फौ. की धारा 151, 107, 116 (3) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, डॉ.रामकिशोर दोगने को यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण निरुद्ध कर लिया जाये.

तद्नुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य डॉ.रामकिशोर दोगने को दिनांक 06.09.2018 को 19.45 बजे बंदी कर एस.डी.एम. हरदा के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें व्यक्तिगत मुचलके पर उसी दिन 23.00 बजे रिहा किया गया. "

पी.एन. विश्वकर्मा
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.